स0सं0–1/प०मे०कॉ०अ०–07/2018– 303(7)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभू शरण,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा– आतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनाक–20/12/2024

विषयः– पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को, Turnkey आधार पर, तीन चरणों में, 250 एम0बी0बी0एस0 नामांकन क्षमता एवं 5462 शैय्या वाले चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के रूप में पुनर्विकसित करने हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर कुल रु0 5540,07,00,000/– (रुपये पाँच हजार पाँच सौ चालीस करोड़ सात लाख) मात्र की लागत पर स्वीकृत स्कीम (योजना) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में भारत सरकार "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25 under Part-XII" के तहत इस परियोजना हेतु कुल रु0 2,12,77,00,000/–(रुपये दो अरब बारह करोड़ सतहत्तर लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पटना चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, पटना को, Turnkey आधार पर, तीन चरणो में, 250 एम0बी0बी0एस0 नामांकन क्षमता एवं 5462 शैय्या वाले चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के रूप में पुनर्विकसित करने हेतु भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के पत्रांक F.No.44(1)/PF-S/2024-25(CAPEX)- Bihar, दिनांक–22.11.2024, एवं F.No.44(1)/PF-S/2024-25(CAPEX)-Part-XII-SACE-24, दिनांक–22.11.2024 तथा वित्त विभाग के पत्रांक–701/वि0 दिनांक–22.11.2024 के द्वारा निर्माण का कार्य करने हेतु पूर्व स्वीकृत स्कीम (योजना) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्वास्थ्य विभाग को इस परियोजना हेतु कुल रु0 212.77 करोड मात्र राशि प्राप्त हुई है।

2– ज्ञातव्य है कि स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश सं0–1377(1), दिनांक–06.12.2018 द्वारा पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को, Turnkey आधार पर, तीन चरणों में, 250 एम0बी0बी0एस0 नामांकन क्षमता एव 5462 शैय्या वाले चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के रूप में पुनर्विकसित करने हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर कुल रु0 5540,07,00,000/– (रुपये पाँच हजार पाँच सौ चालीस करोड सात लाख) मात्र की लागत पर वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्कीम (योजना) स्वीकृत है।

3– इस योजना हेतु अब तक आवंटित राशि का विवरण निम्नरुपेण है–

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	राशि (रु0 में)	व्ययादेश/आवंटनादेश सं0 एवं दिनाक
1	2018–19	5,00,00,000/–	सं0–88(1)ब0, दिनांक–08.01.2019
2	2019–20	200,00,00,000/–	स0–1360(1), दिनाक–03.10.2019
3	2020–21	69,54,00,000/–	स0–252(1), दिनांक–10.03.2021
4	2021–22	82,50,00,000/–	सं0–409(1), दिनांक–16.06.2021
5	2021–22	58,45,00,000/–	स0–389(7), दिनांक–11.03.2022
6	2022–23	50,00,00,000/–	स0–89(7), दिनांक–30.06.2022
7	2022–23	4,30,57,00,000/–	स0–290(7), दिनांक–24.11.2022
8	2023–24	61,00,00,000/–	सं0–196(7), दिनांक–28.08.2023
9	2023–24	9,22,00,000/–	सं0–390(7), दिनांक–03.01.2024
10	2023–24	29,12,70,000/–	सं0–640(7), दिनांक–14.03.2024
11	2024–25	24,00,00,000/–	स0–82(7), दिनाक–25.06.2024
12	2024–25	2,10,00,00,000/–	सं0–154(7), दिनांक–29.08.2024
कुल योग–		**12,29,40,70,000/–**	

4– कार्यकारी एजेन्सी, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना के पत्रांक–2851, दिनांक–22.08.2019 के आलोक में पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को, Turnkey आधार पर, तीन चरणों में, 250 एम0बी0बी0एस0 नामांकन क्षमता एवं 5462 शैय्या वाले चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के रूप में पुनर्विकसित करने हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर कुल रु0 5540,07,00,000/– (रुपये पॉच हजार पाँच सौ चालीस करोड़ सात लाख) मात्र की लागत पर स्वीकृत स्कीम (योजना) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में भारत सरकार "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25 under Part-XII" के तहत इस परियोजना हेतु कुल रु0 2,12,77,00,000/–(रुपये दो अरब बारह करोड सतहत्तर लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

5– कार्यकारी एजेन्सी, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना द्वारा योजना का क्रियान्वयन/राशि का व्यय, स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश सं0–1377(1), दिनांक–06.12.2018 में निहित शर्तो के आधार पर कराया जायेगा।

6– यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र सख्या–2561/वि0(2), दिनांक–17.04.98, 2880/वि0(2), दिनांक–06.05.06, 2938/वि0(2), दिनांक–08.04.08, 3758/वि0, दिनांक–31.05.2017 एवं 12888/वि०, दिनांक–03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

7– इस राशि के व्यय का वहन मॉग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष–03–चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप–शीर्ष–0101–मेडिकल कॉलेजों हेतु, विपत्र कोड–20–4210037890101 अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में विषय शीर्ष 53–मुख्य निर्माण कार्य के 0101–53–01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में **द्वितीय अनूपूरक आगणन** से प्राप्त राशि से की जानी है।

8– इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

9- वित्त विभागीय पत्र सख्या–632वि०, दिनांक–04.07.2023 के क्रम मे निर्गत वित्त विभागीय पत्र संख्या–10792/वि०, दिनांक–06.12.2023 के क्रम में "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25" के लिए पूजीगत परियोजनाओं से संबंधित चालू योजनाओं के वित्त पोषण हेतु लोन की राशि से बकाया भुगतान के लिए कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के पी०एल० खाता में हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को संबंधित बैंक खाते में हस्तान्तरित कर व्यय किया जाना है। अतएव अवर सचिव सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 मे तैयार विपत्र के माध्यम से राशि निगम के पी0एल0 एकाउन्ट सं0–PBBPLA007 विपत्र कोड–00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID---------- में जमा करेंगे, जिसे कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के पी०एल० खाता में हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को संबंधित बैंक खाते मे हस्तान्तरित कर दिशा–निर्देश के अनुरूप विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुए व्यय करेंगे।

10– वित्त विभागीय पत्रांक–432/वि०, दिनांक–29.03.2023 एवं पत्रांक–701/वि०, दिनांक–22.11.2024 के आलोक में ससमय उपयोगिता प्रमाण–पत्र GFR 12B में विभाग के माध्यम से विहित प्रपत्र में तैयार कर वित्त विभाग को निगम के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते में प्राप्ति का चालान एव व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र में ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेंगे एवं इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

11– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

12– अग्रिम राशि के निकासी के प्रस्ताव एवं प्रारूप पर माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

13– प्रारूप में आतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–1/प०मे०कॉ०अ०–07/2018 के पृष्ठ–111/टि0 पर प्राप्त है।

14– यह मात्र व्ययादेश है, आवंटन CFMS के माध्यम से प्रदान किया जायेगा।

विश्वासभाजन

(शंभू शरण)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– 1/प०मे०कॉ०अ०–07/2018 – 303(7) /स्वा0, पटना, दिनांक– 20/12/2024

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्राचार्य/अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मा0 मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–7, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबधित को यथाशीघ्र ई–मेल करने के निदेश के साथ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।